

प्ररूप-2 क  
(नियम 4 देखिये)

12

## नामनिर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग-1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए 18 सिवान संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र

से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम मनोज कुं सिंह

पिता/भ्राता/प्रति का नाम मदन सिंह

उसका डाक का पता ग्राम + पो. - प्रतापपुर, थाना - दुर्खनगंज, जिला - सिवान

उसका नाम 18 सिवान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र [में समाविष्ट 108

शुनाचपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं० 20 में क्रम सं०

631 पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम अवधबिहारी चौधरी है जो 18 सिवान

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र [में समाविष्ट 105 सिवान विधान सभा

निर्वाचन क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं० 149 में क्रम सं० 89

पर प्रविष्ट है।

तारीख 21.04.2014

अवधबिहारी चौधरी  
(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

(मान्यताप्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किये जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए .....~~X~~.....संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित करते हैं ।

अभ्यर्थी का नाम .....

पिता/माता/पति का नाम .....

उसका डाक पता .....

उसका नाम .....संसदीय निर्वाचन क्षेत्र \*(में समाविष्ट.....~~X~~.....

.....विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक.....~~X~~.....में क्रम संख्यांक ~~X~~.....पर प्रविष्ट है ।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज हैं और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं ।

### प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक				पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम संख्या			
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

कृपया ध्यान दें : प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए ।

## भाग-3

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि -

(क) मैंने 45 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। जन्म तिथि - 22.01.1969 के अनुसार

[नीचे ख (i) या ख (ii) जो लागू न हो उसे काट दें]

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में जनता दल मुनाईडेस दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आवंटित किया जाए।

(ii) मुझे इस निर्वाचन में या दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है / मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में

(i) ~~.....~~

(ii) ~~.....~~

(iii) ~~.....~~ हैं।


(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/प्रति का नाम ऊपर हिन्दी (देवनागरी) (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

\* मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं लागू नहीं \*जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो.....  
राज्य के उस राज्य में के .....(क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित  
\*जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में \*\*\*\*नाम निर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख 21.04.2014

  
(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

\* जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और द्वीप तथा लक्षद्वीप की दशा में "समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र" शब्द काट दीजिए।

\*\* यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

\*\*\* लागू न होनेवाले शब्द काट दीजिए।

\*\*\*\* जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चण्डीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में लागू नहीं होगा।

कृपया ध्यान दें - "मान्यताप्राप्त राजनैतिक" दल से निर्वाचन अयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

भाग-3 क  
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा)

क्या अभ्यर्थी को-

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-  
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए ; या ~~हाँ~~ / नहीं  
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,

सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है ~~नहीं~~

यदि उत्तर "हाँ" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट

संख्यांक..... लागू नहीं

- (ii) पुलिस थाना

(थाने)..... लागू नहीं जिला (जिले)..... लागू नहीं राज्य..... लागू नहीं

- (iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था

..... लागू नहीं

- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख/ (तारीखें)

..... लागू नहीं

- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था

..... लागू नहीं

- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारवासों) की अवधि और/या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें

..... लागू नहीं

- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें)

..... लागू नहीं

- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : ~~हाँ~~ / नहीं

..... लागू नहीं

- (ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियां..... लागू नहीं

..... लागू नहीं

- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे..... लागू नहीं

..... लागू नहीं

- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित है..... लागू नहीं

..... लागू नहीं


- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो-

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें)..... लागू नहीं

(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति)..... लागू नहीं

स्थान : सिवान

तारीख : 21-04-2014

  
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

\* लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

भाग — 4

( रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए )

नाम निर्देशन-पत्र की क्रम सं० — 10.....

यह नामनिर्देशन मुझे/भरे कार्यालय में 21-04-14 (तारीख) को 1.25 बिजे

\* अभ्यर्थी/प्रस्थानक द्वारा परित्त किया गया।

तारीख 21-04-14.....

  
रिटर्निंग आफिसर

\* जो शब्द लागू न हो उसे काट दीजिए।

भाग — 5

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 36 के

अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ : —

तारीख .....

रिटर्निंग आफिसर

(रिटर्निंग)

16



7  
BIHAR JUDICIAL  
00000  
Rs ≈ 0000100 ≈ 19.4.2014  
375267 BIHAR  
INDIA \*\*Zero\*Zero\*Zero\*Zero\*One\*\*Zero\*Zero\*\*  
8971 3926935

Notari Register  
Particulars

S. No. ....  
Book No. 1  
Date 21.04.14



18 सिवान

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) लोकसभा (सदन का नाम) के लिए  
निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

में मनोज कुं सिंह \*\*पुत्र/पुत्री/पत्नी मदन सिंह  
आयु 45 वर्ष जो ग्राम + पो - मतापुर, थाना -  
हुसैनगंज, जिला - सिवान

(डाक का

पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता  
हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-


(1) में जनता दल मुनाईटेड (\*\*राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा

किया गया अभ्यर्थी/ ~~\*\*एक स्वतंत्र अभ्यर्थी~~ के रूप में लड़ रहा है।

(\*\*जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 108 खुनाचपुर विधान सभा बिहार (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 20  
के क्रम सं 631 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 09431216113 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) ....  
mulemanossingh@gmail.com



(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :


क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वयं	APWPS2720J	2012-13	18,86,965/- Including tax Exempted
2.	पति-या पत्नी	ASPLS8287L	2012-13	26,64,021 Including tax Exempted
3.	आश्रित-1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	आश्रित-2	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	आश्रित-3	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	सिवान (मुफसिल) थाना सं - 32/01 जिला-सिवान, बिहार
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	147, 148, 353/149, 307/149 मातृ दंग, धोखा एवं 27 आर्म्स एक्ट.
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और सजा लेने के आदेश की तारीख	विशेष न्यायालय जेल सह कोर्ट जे 1 सिवान सत्रवार सं - 44/06 03.09.2003.
	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	विशेष न्यायालय जेल सह कोर्ट जे - 1 सिवान



(ड.)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	01-06-2007
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	नहीं

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है पूर्वोक्त

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	CJM सिवान, सिवान नगर थाना क्र. सी. 394/13, 24.4.13.
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	188 मा. 20 कि एवं 30 आर. 2007
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	नहीं

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ~~बहसमान~~ ~~मका~~ है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश ~~दिया~~ ~~मका~~ है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा: लागू नहीं

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है ~~लागू~~  
नहीं

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं





(ग)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष उठराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिथति	लागू नहीं

(7) मैं, मेरे, मेरे पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 – जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 – सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 – यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 – रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पत्नी या पत्नी	आश्रित - 1 शिवंगी सिंह	आश्रित - 2 शिवम कुमार	आश्रित - 3 सत्यदीप सिंह
(i)	हाथ में नकदी	2,50,000/-	3,50,000/-	5000/-	7000/-	5000/-
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंकारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	बचत खाता रुबर बैंक आंध्र-प्रदेश उत्तर प्रदेश में 5,42,030/- रकम	नियत जमा स्वयं बचत दोनों मिलकर 28,07,104/- ग्रुवोटीआईएल आईएलआईआई एनआईआई बैंक सिवान	बचत खाता आंध्र बैंक सिवान में 5,00,000/- रकम	लागू नहीं	बचत खाता आंध्र बैंक सिवान में 5,00,000/- रकम
	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/ शेयरों तथा यूनितों विनिधान के ब्यौरे और रकम	100,000/- रकम के बंधपत्रों आइएलआई नई दिल्ली में	600,000/- रकम के बंधपत्रों आइएलआई नई दिल्ली में	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	रकम आदि... 23,73,273/- रकम सरेन्डर में पर	रकम आदि... 7,84,664/- रकम सरेन्डर में पर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	10,00,000/- रकम पत्नी की अन्य... में है।	5,00,000/- रकम अग्रिम (विदेशी) दिल्ली की रकम दिखा जा रही है।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(vi)	मोटरयान/वायुयान/घाट/पोत (मिक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	BR-29 0617 रकम 2013 1200,000/- रकम	BR-1PE 0781 रकम 2013 1200,000/- रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	150 ग्राम सोना 4,50,000/-	1 किग्रा सोना रकम 1 किग्रा चांदी, 300000/- 50000/- रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	लागू नहीं	85,00,000/- रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ix)	समग्र कुल मूल्य	59,15,303/- रकम	1,77,91,768/- रकम	5,05,000/- रकम	7000/- रकम	5,05,000/- रकम

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	प्रतापपुर, चाँप, रबीमपुर, सर्वे संख्या: 398, 399, 400, 2, 325	महादेवा, चाँप, महापुर, पुंड्र संख्या: 1643, 2045, 591, 2, 498, 219	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	3.70/- एकड़	1.49 एकड़	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हाँ स्वयं खरीदगी	खरीदगी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वाधित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	16-8-12 रकम 2-12-08	2001 से 2010 तक में	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	36,06,986/- रकम	11,67,500/- रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	1,00,00,000/2	20,00,000/2	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	कलकली नरेश्वर, मन्सा रोमी नरेश्वर, 17, 3 मन्सा, मन्सा, 150, 151, 384, 4, 5.	निराला नगर, रामनगर, 2846-46 एवं 2893, 2444, 2445 सर्वेक्ष	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	2575 59ft	22611 59ft	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	2575 59ft	6005 59ft	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	13.8.2002	2006 से 2012 तक में	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	3,65,000/2	58,00,000/2	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	5,00,000/2	25,00,000/2	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	25,00,000/2	25,00,000/2	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	प्रतापपुर एवं निरालानगर डिफरन्सिया 2846 सर्वे	निराला नगर, पटना, मन्सा रोमी नरेश्वर, 2846 सर्वे, पटना डिफरन्सिया नरेश्वर, 503 46 सर्वे, 622/90 सर्वे	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	5718 59ft	7000 59ft	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं




	निर्मित क्षेत्र (बग फुट में कुल गांध)	5718 5944	7000 5944	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हो स्वीकरीक	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	13.8.2002	2004 से 2013 तक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	2,08,000/- रुपया	42,00,000/- रुपया	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	57,00,000/- रुपया	20,00,000/- रुपया	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	1,50,00,000/- रुपया	2,00,00,000/- रुपया	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(V)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(VI)	पूर्वोक्त (i) से (V) का कुल चालू बाजार मूल्य	2,75,00,000/- रुपया	4,70,00,000/- रुपया	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	विहार विधान परिषद से 4,63,000/- रुपया	सिधान संस्कृत से - आर्य समाज से 5,33,425/- रुपया	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कोई अन्य दायित्व (मित्रों से)	4,25,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	दायित्वों का कुल योग	8,88,000/-	5,33,425/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	15090/- रु०	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	आय-कर शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	धनकर शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सेवाकर शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विक्रयकर शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कोई अन्य शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग	15,090/- रुपया	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं.....राम शंकर सिंह जिला स्व. सिवान स्टेन्डल श्री. आपत्तीव बैंड लिड ई अद्यक्ष

(ख) पति या पत्नी.....रमकाम

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

आई.कॉम, टी.एच.सी. कॉलेज सिवान सन. 1985 में,

( जिला इंटरमिडिएट अंशिल पटना )

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)




## भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुं मनोज कुं सिंह				
2	डाक का पता	ग्राम-पो-प्रतापपुर धारा - हुरीकाँज जिला- सिवान				
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	18 सिवान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, बिहार				
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	जनता दल युनाइटेड				
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	शुद्ध				
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद् (i) उल्लिखित मामलों से मिन)	शुद्ध				
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	लागू नहीं				
7		..... का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय		
	(क) अभ्यर्थी	APWPS 2720J	2012-2013	18,86,965   2 including Tax Exempted		
	(ख) पति-या पत्नी	ASPLS 8287L	2012-2013	26,64,021   2 including Tax Exempted		
	(ग) आश्रित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपयों में)					
	विवरण	स्वयं	पति-या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
	जैसा आस्तियां (कुल मूल्य)	59,15,303/-	1,77,91,769/-	5,05,000/-	7000/-	5,05,000/-



ख	स्थावर आस्तियां	स्वयं	पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
	I. स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	41,79,986/रु०	1,11,67,500/रु०	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	II. क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	62,00,000/रु०	45,00,000/रु०	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	III. निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	275,00,000/रु०	470,00,000/रु०	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	2,68,00,000/रु०	470,00,000/रु०	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	7,00,000/रु०	लागू नहीं			
9	दायित्व	9,03,090/रु०	5,33,425/रु०	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(i) सरकारी शोध (कुल)	478,090/रु०	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	4,25,000/रु०	5,33,425/रु०	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं					
	(i) सरकारी शोध (कुल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



11	<p>उच्चतम शैक्षिक अर्हता :</p> <p>आई.ई.टी.टी. सी.ए.सी. कॉलेज सिवान, सन-1985 (विद्यार्थी 25 फरवरी 1985 में प्रवेश पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)</p> <p>(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)</p>
----	--

### सत्यापन


मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलों से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पत्नी या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 21-04-2014 को सत्यापित किया गया।

I identify to department who has signed in my presence. 21-4-14



अभिसाक्षी

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 31.03.2014 तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।



टिप्पण - 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं..... 09431216113

मेरा ई-मेल आई०डी० (अगर कोई हो) है..... mulemanossingh@gmail.com

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है..... 21-4

टिप्पण-7 शपथ पत्र के पारा 8 में वित्तीय संस्थानों के प्रति दायित्वों में विदेशी बैंकों/संस्थाओं में जमा/निवेश सहित सूचना दें।